

कार्रवाई के दौरान पुलिस व भू-स्वामियों के बीच हुई झड़प

रेलवे के अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर अड़े भू-स्वामी, सख्ती पर हुआ बवाल

नवभारत न्यूज
सीधी, 17 जून. जिले के बहरी थाना अंतर्गत बहेरा में रेलवे में अधिग्रहित जमीन का अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक अमले के बीच भू-स्वामियों द्वारा मना करने के दौरान पुलिस एवं भू-स्वामियों के बीच झड़प हुई। इस दौरान थाना प्रभारी बहरी उत्तेजित



गजरही में भी इसी तरह हुआ था विवाद

इसी तरह जिले के बहरी थाना क्षेत्र के ग्राम गजरही में रविवार दोपहर रेलवे विभाग ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। रेलवे अधिकारियों और ठेकेदार की मौजूदगी में बुलडोजर वाकर कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस पर भी विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। स्थानीय निवासी आशीष यादव ने आरोप लगाया कि उनके मकान सहित उनके परिवार के कुल छह मकानों को बिना किसी मुआवजे के तोड़ दिया गया। उन्होंने मुन्ना यादव और सुरेश यादव के मकानों का भी जिक्र किया। आशीष यादव के अनुसार, उन्होंने कई बार तहसील कार्यालय में आवेदन देकर मुआवजा और पुनर्वास की मांग की थी, लेकिन किसी अधिकारी ने उनकी बात नहीं सुनी। इस मामले में संबंधित अधिकारियों ने कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

होकर बोलने लगे तभी मामला और आग उगलने लगा।

हालांकि कुछ मकान गिरने के बाद कार्रवाई रोकने के लिए प्रशासन को मजबूर होना पड़ा। मालूम हो कि मुआवजा न मिलने को लेकर इस तरह की स्थितियाँ पहले भी निर्मित हो चुकी हैं। फिर रेलवे में अधिग्रहित जमीन को लेकर बहेरा में भी इसी तरह की वारदातें गत दिवस देखने को

मिली जहां कि पुलिस एवं प्रशासनिक अमला दल-बल के साथ मकान गिराने बुलडोजर के साथ गया था। वहीं भू-स्वामियों द्वारा इसका विरोध किया गया है। प्रशासन से ज्यादा बहरी थाना प्रभारी आग बबूला हो गए। इसी बीच तू-तू-मै-मै की स्थिति निर्मित हुई। इतना ही नहीं मामला और बढ़ता यह भांपते हुए कुछ मकानों को गिराने की कार्रवाई के

बाद अंततः प्रशासन को वापस लौटना पड़ा।

पहले मिले मुआवजा फिर गिरे मकान –बहेरा के निवासी जिनकी जमीन एवं मकान रेलवे में फंसी है उनकी मांग है कि पहले हमें मुआवजा मिले इसके बाद भी मकान गिराने की कार्रवाई हो। वहीं बरसात के समय में मकान गिराना भी उचित नहीं है यह भी एक प्रमुख विषय

को लेकर भू-स्वामी अड़े रहे। काफी संख्या में पुलिस अमले मौजूद थे। राजस्व विभाग के प्रशासनिक अमले एवं पुलिस के बीच झड़प हुई। कुछ मकानों में जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तभी विवाद शुरू हो गया। अंततः मकान गिराने की आधा-अधूरा कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अमला वापस लौट गए।

तहसीलदार एवं थाना प्रभारी जानकारी देने से कर रहे परहेज

बहेरा में पुलिस एवं राजस्व अमले के साथ ग्रामीणों द्वारा की गई झड़प को लेकर जब तहसीलदार बहरी इंद्राज सिंह एवं थाना प्रभारी बहरी राजेश पाण्डेय से बात करना चाहा तो वह फोन उठाने से परहेज करते नजर आए। यहां तक कि आधे-आधे घंटे के अंतराल में तीन बार कोशिस की गई कि वह जानकारी दें लेकिन बाद में थाना प्रभारी मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। वहीं तहसीलदार फोन उठाने से लगातार परहेज करते नजर आए।

भाजपा ने लगाई फांसी गांव में पसरमा मातम

नवभारत न्यूज

सिंगरौली, 17 जून। चित्तरींगी थाना क्षेत्र के बहेरा गांव में शायी से महज दो दिन पहले एक 19 वर्षीय युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

मृतकों की पहचान भाजपा प्रजापति उम्र 19 वर्षीय पुत्री मेवालाल प्रजापति के रूप में हुई है। युवती की शादी 19 जून को तय थी और उसका विवाह काई भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। ऐसे में अचानक हुई इस घटना ने परिजनों समेत पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार भाजपा प्रजापति 16 जून की रात अपने घर पर थी। वहीं 17 जून को गांव में आयोजित मेले में शामिल होने के लिए परिवार के अधिकारियों सदस्य घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान सुबह करीब 8 बजे ग्रामीणों ने युवती को घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका देखा और इसकी सूचना परिजनों को दी। घटना की खबर मिलते ही परिजन तत्काल घर पहुंचे। बेटी को फंदे पर लटका देख परिवार में कोहराम



मच गया। सूचना मिलने पर चित्तरींगी पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन युवती ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। शादी की तैयारियों के बीच हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है तथा परिजनों और आसपास के लोगों से सूचना परिजनों को दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

खनिज राजस्व में सीधी प्रदेश में प्रथम

अवैध खनन नियंत्रण में भी सफलता

नवभारत न्यूज
सीधी, 17 जून. सीधी जिले ने खनिज राजस्व संग्रहण एवं प्रवर्तन कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विकास मिश्रा के नेतृत्व, सुशासन की प्रतिबद्धता तथा राजस्व संवर्धन एवं रोजगार सृजन के प्रति समर्पित प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।



पूर्व वर्षों में खनिज राजस्व प्रगति के मामले में सीधी जिला प्रदेश में सामान्यतः 20वें से 25वें स्थान के बीच रहा करता था, जबकि वर्तमान में जिला प्रदेश स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ है। यह उपलब्धि कलेक्टर के सतत मार्गदर्शन तथा खनिज विभाग की सक्रिय कार्यशैली का परिणाम है। विभागीय अधिकारियों द्वारा अवकाश दिवसों में भी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए रेलवे, निर्माण एजेंसियों एवं खदान संचालकों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही सभी उपखंडों में अनुविभागीय अधिकारियों की अध्यक्षता में मासिक तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित कर स्वीकृत खदानों के संचालन से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया गया। जिले में स्वीकृत खदानों के सुचारु संचालन, अधिकतम राजस्व प्राप्ति, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन तथा अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों के अनुरूप खनिज उत्पादन एवं रॉयल्टी जमा कराने पर विशेष बल दिया गया। खनन पट्टाधारकों के साथ समन्वयात्मक एवं सकारात्मक संवाद स्थापित कर उन्हें खनिज व्यवसायी के रूप में सम्मान दिया गया, जिससे खनिज क्षेत्र में निवेश एवं उत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। वर्तमान में जिले की लगभग

सभी स्वीकृत खदानें संचालित हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व संग्रहण में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है।

राजस्व संकलन की जानकारी- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले द्वारा 30 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2024-25 में 32 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 38 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में शासन द्वारा निर्धारित 10.27 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 16.85 करोड़ रुपये की प्राप्ति कर 164 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई, जिसके आधार पर सीधी जिले ने प्रदेश

में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की गई है। पूर्व वर्षों की तुलना में दोगुनी कार्रवाई करते हुए 74 प्रकरण दर्ज किए गए तथा लगभग 33 लाख रुपये की राशि वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराई गई। इस उपलब्धि के आधार पर जिला प्रदेश में चौथे स्थान पर रहा है। निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्ति एवं अवैध खनिज गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई को लेकर विभागीय प्रमुखों द्वारा जिला प्रशासन एवं खनिज टीम की सराहना की गई है।

उपलब्धियों में समन्वित प्रयास

उक्त उपलब्धियाँ कलेक्टर विकास मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के मार्गदर्शन में वनमण्डल अधिकारी प्रीति अहिरवार, उप संचालक सोन घोंयाल अग्रारण्य राजेश कन्ना टी., समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खनिज विभाग, पुलिस एवं वन अमले के समन्वित प्रयासों से संभव हो सकी है। इसी क्रम में 17 जून 2026 को ग्राम बघावर तहसील रामपुर नैकिन में अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान रेत का अनाधिकृत परिवहन करते पाए गए तीन हाइवाहनों को नियमानुसार जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी पिरावा में खड़ा कराया गया है। संबंधित वाहन चालकों एवं स्वामियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

खेल पुरस्कार-2026 के लिए आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित

नवभारत न्यूज
सतना 17 जून. खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2026 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, प्रभाष जोशी एवं लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए इच्छुक खिलाड़ी 10 जून से 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार खेल और युवा कल्याण विभाग म.प्र. शासन के नवीन पुरस्कार नियम 2021 के अनुसार वर्ष 2021 से 31 मार्च 2026 तक की खेल उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान सांख्यिक खेलों (बल, थल एवं वायु आधारित) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने

वाले खिलाड़ी भी एकलव्य एवं विक्रम पुरस्कार हेतु पात्र होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अनुदान मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी आवेदन किया जा सकता है। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सतना/मैहर ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन की प्रती (पंजीयन क्रमांक सहित) तथा संबंधित खेल प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति जिला खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय अथवा संचालनालय, टी.टी. नगर स्टैंडियम, भोपाल में 31 जुलाई 2026 तक जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिले में अब तक 8.2 मिलीमीटर हुई औसत वर्षा

नवभारत न्यूज
रीवा, 17 जून. झमाझम मानसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी है लेकिन प्री-मानसून सक्रिय है, दो दिन झमाझम बारिश हुई और बुधवार को भी जिले के कुछ हिस्सों में रिमझिम बारिश हुई।

जिले में अभी तक 8.2 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, दिन भर तेज धूप और उमस भरी गर्मी रही, हालांकि शाम को हवाएं चलने से मौसम में ठंडक रही, दिन में तापमान 39.2 डिग्री रहा। जबकि न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री रहा। रीवा जिले की सभी तहसीलों में मानसून पूर्व की वर्षा शुरू हो गई है, सभी तहसीलों में



तेज हवाओं तथा गरज-चमक के साथ वर्षा हो रही है, वर्षा के कारण दिन और रात के अधिकतम तापमान में कमी आई है, जिले में एक जून से अब तक कुल 8.2 मिलीमीटर औसत वर्षा

दर्ज की गई है, जिले में 17 जून को हजुर तहसील में 6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, अब तक तहसील हजुर में 26.3 मिलीमीटर, रामपुर कचुलियान में 4 मिलीमीटर, सिरमौर में 2 मिलीमीटर,

सेमरिया में 16 मिलीमीटर, मनगवा में 8 मिलीमीटर तथा जवा में 9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, गत वर्ष इसी अवधि में जिले में 34.6 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी.

अवैध रेत परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई

सासन चौकी पुलिस ने मिनी ट्रक सहित रेत किया जब्त

नवभारत न्यूज
सिंगरौली, 17 जून। जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सासन चौकी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत से भरे एक मिनी ट्रक को जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध खनन और परिवहन में सलिस लोगों में हड़कंप मच गया है।



से सूचना मिली थी कि ग्राम गड़हरा से बिना नंबर का मिनी ट्रक अवैध रूप से ग्राम गड़हरा रोड पर घेराबंदी की। इस दौरान गड़हरा की ओर से

रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने खनिज विभाग के साथ संयुक्त रूप से ग्राम गड़हरा रोड पर घेराबंदी की। इस दौरान गड़हरा की ओर से

आ रहे बिना नंबर के मिनी ट्रक को रोककर जांच की गई। जांच में वाहन में अवैध रूप से रेत परिवहन किया जाना पाया गया। इसके बाद खनिज विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वाहन और उनसे लदी रेत को जब्त कर लिया। जब वाहन को सुरक्षित रूप से सासन चौकी परिसर में खड़ा कराया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई खनिज विभाग द्वारा की जा रही है। पुलिस ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है।

स्वतंत्रता दिवस पर विकास पुस्तिका का होगा वाचन

नवभारत न्यूज
मैहर 17 जून. इस वर्ष 15 अगस्त 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भाषण के साथ-साथ जिले के मुख्य अतिथि द्वारा जिले के विकास पुस्तिका का वाचन भी किया जायेगा।

कलेक्टर मैहर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने जिले के सभी विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि अक्टूबर 2023 में किए गए गठन के बाद से अब तक किए गए उल्लेखनीय कार्य,

नवाचार, तथा केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं में प्राप्त उपलब्धियों का विस्तृत विवरण तैयार करें।

कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यों का विवरण न्यूनतम 2000 शब्दों में, शुद्ध भाषा और वर्तनी के साथ, उच्च गुणवत्ता की तस्वीरों सहित 20 जून 2026 तक यूनिकोड फॉन्ट में प्रस्तुत करें। विकास पुस्तिका के निर्माण के लिए अपर कलेक्टर सुश्री संजना जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनके सहयोग के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है।

बलात्कार मामले में सह-आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

मुख्य आरोपी अब भी फरार, पुलिस कर रही लगातार तलाश

नवभारत न्यूज

सरई 17 जून। थाना सरई अंतर्गत पुलिस चौकी बरका के बलात्कार के मामले में फरार चल रहे एक सह-आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बंदूक भेज दिया गया। यह कार्रवाई थाना प्रभारी सरई निरीक्षक राकेश साहू के नेतृत्व तथा चौकी प्रभारी बरका उप निरीक्षक निपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में की गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार धारा 64(1), 70(1), 351(3) एवं 126(2) यूएनएफ के तहत 15 जून को प्रकरण दर्ज किया गया था। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि रामसेन बैस एवं दयाराम बैस ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया तथा जिन से मारने

की धमकी दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने सह-आरोपी दयाराम बैस को ग्राम पुरानी देवसर से हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसकी घटना में संलिप्तता उमने आने पर उसे गिरफ्तार कर 16 जून को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। वहीं मुख्य आरोपी रामसेन बैस की गिरफ्तारी के लिए उसके निवास सहित संभावित ठिकानों पर दखिर्श दी गई, लेकिन वह फरार मिला। पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। उक्त कार्रवाई में उनि एसके सेनावानी, प्र.आर माधव तपात सिंह, धर्मेन्द्र रावत, आर मनीष ठाकुर, जुझार मीणा एवं अभिषेक पाण्डेय का सराहनीय योगदान रहा।